



2026:AHC:67675

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 7109 वर्ष 2026

अशर्फी लाल आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: प्रखर शुक्ला, आरबी सहाय, विवेक कुमार शुक्ला

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 69

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री आर.बी.सहाय और राज्य-प्रतिपक्षियों के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. मौर्य को सुना।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक की ओर से दायर किया गया है, जिसमें उसे भ०द०वि० की धारा 409, 120-बी और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत भ०द०वि० की धारा 409, 120-बी और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और गुप्त उद्देश्य के कारण उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष 2012 में दर्ज की गई थी और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और मामले को बंद कर दिया गया था और 13 साल बाद, जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से इसे फिर से खोला गया था और आगे की जांच की जा रही है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि सह-आरोपी श्रीनारायण शुक्ला को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध में पारित दिनांक 17.03.2026 के आदेश द्वारा अग्रिम ज़मानत दी जा चुकी है। अग्रिम ज़मानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या-2503 वर्ष 2026 के तहत और एक अन्य सह-आरोपी रामेश्वर को भी इस न्यायालय द्वारा **आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-5931 वर्ष 2026** में पारित दिनांक 25.03.2026 के आदेश द्वारा ज़मानत दे दी गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक 12.01.2026 से जेल में बंद है, यह वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित होने के मद्देनजर, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

4. ततस्य विपरीत अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की ज़मानत की प्रार्थना का विरोध किया है।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष 2012 में दर्ज की गई है और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और मामले को बंद कर दिया गया था और 13 साल बाद जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से इसे फिर से खोला गया और आगे की जांच की जा रही है। सह-आरोपी श्रीनारायण शुक्ला को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध में पारित आदेश दिनांक 17.03.2026 के तहत अग्रिम ज़मानत दी जा चुकी है। अग्रिम ज़मानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या-2503 वर्ष 2026 के तहत और एक अन्य सह-आरोपी रामेश्वर को भी इस न्यायालय द्वारा **आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-5931 वर्ष 2026** में पारित आदेश दिनांक 25.03.2026 द्वारा ज़मानत दे दी गई है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक 12.01.2026 से जेल में बंद है

6. तथ्यों, प्रकृति और अभिलेखों से परिलक्षित साक्ष्यों की समग्रता पर विचार करने पर और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मुझे लगता है कि यह ज़मानत के लिए एक उपयुक्त मामला है। इसलिए, प्रस्तुत ज़मानत आवेदन की **अनुमति** दी जाती है।

7. उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल आवेदक- अशर्फी लाल को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो-दो ज़मानतदार के साथ 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाएगा: -



- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा।
- (iii) आवेदक (i) मामले को खोलने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा।
- (v) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस ज़मानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।

मार्च 31, 2026

आरकेएम

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)